

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :-31/2015 (2015/00294)
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0

दर्ज दिनांक 15.12.2015

अनवान

कंकु देवी पत्नि मदनलाल शर्मा निवासी लखमणियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा

--प्रार्थीया

बनाम

1. पप्पुलाल पिता सोहनलाल ब्राह्मण (पारीक)
2. कमला पुत्री सोहनलाल ब्राह्मण (पारीक)
3. मोहनलाल पिता कजोड़मल ब्राह्मण (पारीक)
4. मंजु पुत्री भगवती लाल ब्राह्मण (पारीक)
5. पुष्पा पुत्री भगवती लाल ब्राह्मण (पारीक)
6. अन्नपुर्णा पुत्री भगवती लाल ब्राह्मण (पारीक)
7. सीमा पुत्री भगवती लाल ब्राह्मण (पारीक)
8. गीता देवा भगवती लाल ब्राह्मण (पारीक)
9. गोवर्धनलाल पिता प्रभुलाल ब्राह्मण (पारीक)
10. राजमल पिता प्रभुलाल ब्राह्मण (पारीक)
11. भेरूलाल पिता उदयलाल ब्राह्मण (पारीक)

सर्व निवासी लखमणियास तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा(राज0)।

12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर

--विपक्षीगण

अधिवक्ता प्रार्थी : श्री महेश दाहीच
अधिवक्ता विपक्षी: श्री सुनिल कुमार बापना
पेरोकार सरकार

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाडा (राज)



1.

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट ::

निर्णय दिनांक:-29.01.2021

:: निर्णयः


संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम लखमणियास पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील सहाड़ा में प्रार्थीया के खातेदारी की हाल आराजी संख्या 779 रकवा 0.21 हे0 जिसमें बट्टा नं0 आराजी संख्या 2013/779 रकवा 0.01 हे0 आचा, आराजी संख्या 2014/779 रकवा 0.20 हे0 स्थित है। जिसके लिए नकल जमाबंदी संवत् 2067 से 2070 प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है। यह कि उक्त वर्णित आराजी संख्या 779 रकवा 0.21 हे0 के साविक नं0 584 रकवा 19 बिस्वा है।

इसी प्रकार ग्राम लखमणियास में विपक्षी संख्या एक से ग्यारह के खातेदारी आराजी संख्या 782 रकवा 0.01 हे0 आचा स्थित है। जिसके साविक नं0 583 रकवा 1 बिस्वा स्थित है।

यह कि दौराने बन्दोवस्त भुप्रबंध अधिकारियों ने हाल आराजी संख्या 779 रकवा 0.21 हे0, को साविक नक्शे से छोटा बना दिया है व विपक्षी संख्या एक से ग्यारह की हाल आराजी संख्या 782 रकवा 0.01 हे0 का नक्शा साविक आराजी संख्या 583 से बड़ा नक्शा बना करके प्रार्थीया कि आराजी संख्या 779 की तरफ पूर्वी दिशा में बढ़ा दिया जो 0.01 हे0 से काफी बड़ा है। जो दुरुस्त किया जा करके साविक नक्शे के अनुसार बनाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। भु-प्रबंध अधिकारियों को नक्शे का आकार व स्वरूप बदलने का अधिकार नहीं है। भु-प्रबंध अधिकारियों ने बिना किसी अधिकार के उक्त नक्शा तैयार किया जो दुरुस्त होने योग्य है।

अतः साक्षर प्रार्थना हैं कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व ग्राम लखमणियास पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील सहाड़ा की हाल आराजी संख्या 779 का नक्शा साविक आराजी संख्या 584 के नक्शे के अनुसार दुरुस्त किया जावे व विपक्षी संख्या एक से ग्यारह की हाल आराजी संख्या 782 का नक्शा साविक आराजी संख्या 583 के अनुरूप दुरुस्त फरमाया जावे।

2.



सहायक. कलक्टर
विपक्षी अधिकारी
संगमपुर, जिला सहाड़ा (राज.)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षी को विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया। विपक्षी संख्या 10 व 11 के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी के अधिवक्ता ने विपक्षी संख्या 1, 8, 11 की ओर से जवाब पेश कर प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1, 2, 3को स्वीकार किया व चरण संख्या 4, 5, 6, 7, 8 गलत होने से अस्वीकार की है, तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज करने हेतु निवेदन किया। विपक्षी पेशेकार उपस्थित जवाब पेश कर पेरा संख्या 1, 2 स्वीकार की है। पेरा संख्या 3 रेकार्ड अभाव में अस्वीकार की है। पेरा संख्या 4 प्रार्थी स्वयं सिद्ध करें। पेरा संख्या 5 से 8 न्यायिक बताकर साविक नक्शा को अपठनीय बताया है। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर से उक्त प्रार्थना पत्र पर मौका रिपोर्ट तलब करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किये जाने पर प्रार्थना पत्र पर मौका रिपोर्ट तहसीलदार सहाड़ा से तलब की गई जो इस प्रकार है:-

मौके अनुसार राजस्व ग्राम लखमणियास पटवार हल्का गणेशपुरा की आराजी आराजी संख्या 2013/779 रकबा 0.01 हे0 आचा, आराजी संख्या 2014/779 रकबा 0.20 हे0 किता 02 कुल रकबा 0.21 हे0 खातेदार कंकु देवी पत्नि मदनलाल शर्मा निवासी लखमणियास के नाम दर्ज रेकार्ड होकर आराजी नं0 584 रकबा 19 विस्वा बने है। आराजी नं0 782 रकबा 0.01 हे0 साविक आराजी नं0 583 रकबा 1 विस्वा से बना है। हाल आराजी नं0 782 रकबा 0.01 वर्तमान राजस्व नक्शे अनुसार मौके पर बना हुआ होकर कुआं एवं फेरा है। जिस पर प्रार्थीया का कब्जा नहीं होकर विपक्षीगण ही उपयोग कर रहे है।

उभयपक्ष अधिवक्तागण को मजमे आम सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने पर निवेदन किया। एवं विपक्षी संख्या एक के अधिवक्ता पने प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया। बाद बहस मैंने प्रार्थना पत्र का अवलाकन कर गहन मनन किया। चूंकि तहसीलदार सहाड़ा की मौका रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम लखमणियास पटवार हल्का गणेशपुरा की आराजी आराजी संख्या 2013/779 रकबा 0.01 हे0 आचा, आराजी संख्या 2014/779 रकबा 0.20 हे0 किता 02 कुल रकबा 0.21 हे0 खातेदार कंकु देवी पत्नि मदनलाल शर्मा निवासी लखमणियास के नाम दर्ज रेकार्ड होकर आराजी नं0 584 रकबा 19 विस्वा बने है। आराजी नं0 782 रकबा 0.01 हे0 साविक आराजी नं0 583 रकबा 1 विस्वा से बना है। हाल आराजी नं0 782 रकबा 0.01 वर्तमान राजस्व नक्शे अनुसार मौके पर बना हुआ होकर कुआं एवं फेरा है। जिस पर प्रार्थीया का कब्जा नहीं होकर विपक्षीगण का ही कब्जा होने से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायविरुद्ध नहीं है अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतएव

3.


सहायक क्लर्क
(आर0ए0 अधिकारी)
गंगापुर (वि. न. वि. वि. वि. वि. वि.)

प्रकरण संख्या :- 31/2015(2015/00294)
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0

:: आदेशः

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.टी.एक्ट का पोषनीय नहीं होने से खारिज किया जाता है।

पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(विक्रम पंचोली)

उपखण्ड अधिकारी, गंगापूर 4.

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

गंगापूर जिला नौलवाडा (राज.)

